115 11 केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के स्वामित्व वाली भूमि/भवनों के स्वामित्व विलेख अथवा हक के संबंध में अद्यतन स्थिति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय में इस बात का उल्लेख किया है कि ऐसे सभी सीपीएसई जिनका विनिवेश किया गया है, उनके पास अच्छी खासी रियल एस्टेट होती है। परंतु परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बाजार दर के अनुसार उचित ढंग से नहीं किया गया। इन संपत्तियों का मूल्यांकन न किए जाने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारण यह था कि ये संपत्तियां फ्री–होल्ड नहीं थीं और इनका स्वामित्व विलेख स्पष्ट नहीं था। लेखापरीक्षा के दौरान आगे यह भी पाया गया कि कुछ कंपनियों में यहां तक कि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर/स्थायी परिसंपत्तियों की सूची ही उचित ढंग से तैयार नहीं की है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि वे सभी आवश्यक अपेक्षित दस्तावेजों सहित सीपीएसई के स्वामित्व वाली भूमि अथवा भवनों के स्वामित्व विलेख अथवा हक के संबंध में अद्यतन स्थिति बनाए रखें और यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करें कि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर आदि जैसे रिकॉर्ड उचित ढंग से रखे जाएं।

यह भारी उद्योग एवं लोग उद्यम मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 03 (03)/2006–वित्त, दिनांक 30.06.2006)

******